

1916

पत्रांक-2/रम 1-37/2004 उमा प्रिया

बिहार सरकार  
उच्च विद्यालय !

(25)

प्रेषण,

सेवा मं,

श्री आदित्य नारायण सिंह,  
सरकार के उप सचिव ।

कुलसचिव,

माध्यमिक विद्यालय, बोधगया ।

पटना, दिनांक-३० सितम्बर, 2004

विद्याय:- माध्यमिक विद्यालय के अन्तर्गत स्वितप्रोग्राम का कार्यक्रम  
के आधार पर बोधगया मेवाले पाठ्यक्रम के संबंध में  
अनापति प्रमाण पत्र ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलपति के पत्र सं-भी.सी./रेसि./160, दिनांक  
27-5-2004 के प्रसंग में निम्नानुसार कहा है कि राज्य सरकार ने निम्ना-  
कि पाठ्यक्रमों के लिए अनापति प्रमाण पत्र इस शार्ट के साथ प्रदान करने  
की कृपा की है कि विधिवत कोर्स प्रारंभ करने के पूर्व विश्वविद्यालय नामांकि  
किए जानेवाले छात्रों की संख्या का नियरिण राज्य सरकार से करा भे:-

(A) Management Programme

1. Master of Business Administration (MBA)

2. Post Graduate Diploma in Human Resource  
Management.

3. Post Graduate Diploma in Marketing & Sales  
Management.

4. Post Graduate Diploma in Personnel Management  
and Industrial Relations.

5. Post Graduate Diploma in Financial Management

6. Post Graduate Diploma in Export Management

7. Diploma in Tourism & Travel Management.

(B) Library Science

1. Bachelor of Library and Information Science  
(BLIS)

2. Master of Library and Information Science (MLI)

(C) Education Science

1. Bachelor of Education (B.Ed.)

2. Master of Education (M.Ed.)

(D) Mass Communication  
F.G. Diploma in Mass Communication & Journalism.

(26)

11 2 11

(E) Information Technology

1. Master in Computer Application (MCA)
2. Bachelor in Computer Application (BCA)
3. Diploma in Computer Application (DCA)
4. Certificate in Computer Application (CCA)

(F) M.G.Diploma in Counseling and Rehabilitation.

(G) Institute of Rural Reconstruction and Development Management (IRRM)

1. Master of Rural Reconstruction & Development Management.

2. साथ ही दूर शिक्षा निवृत्यालय की स्थापना एवं पूर्ण शिक्षा के माध्यम से अध्यापन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा की है।

विश्वविद्यालय उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को विधिवत प्रारंभ करने के पूर्व शिक्षार शास्त्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अध्यतन संशोधित की धारा-6(1)(2) के प्रावधानों के आलीक मैं उक्त पाठ्यक्रमों मैं अधिकृत होनेवाले छात्रों की अधिकतम संख्या का निर्धारण सरकार से करा जाए। प्रस्ताव में जैसे समय ब्रूसका औरित्य भी निमित्त रूप से दर्शाया ग जाय।

राखेन्द्र/ 28-9-04:

विश्वविद्यालय  
आदित्य नारायण सिंह,  
सरकार के उप सचिव।  
~~29/9/04~~